

DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION
VOCATIONAL AND INDUSTRIAL TRAINING
HIMACHAL PRADESH SUNDERNAGAR

Website: www.techeduhp.com, email:dtevithp@hotmail.com, techedu-hp@nic.in
Phone: 01907-266120, 266572, 267671

No. STV(TE)HC(27)CCDC/IT Policy/2017- 84318 - 448 Dated:- 7 /04/2018

To

1. The Director/ Principal,
All Govt. Engg. & B-Pharmacy Colleges in H.P.
2. The Principal,
All Govt. Polytechnics in H.P.
3. The Principal
All Govt. I.T.I.s in H.P.

**Sub: Regarding establishment of Biometric system in the department/
offices.**

Sir,

With reference to the letter no. NICH/ GR1/Project-122/-1279 dated 22/03/2018 received from Ministry of Electronics & Information Technology, Govt. of India on the subject cited above (copy enclosed). In this regard, it is to inform you that the UIDAI has made it mandatory for Biometric devices used to be the Registered Devices for the purpose of authentication. Therefore, you are requested to do the needful as requested in the enclosed letter. This is for your information and immediate strict compliance please.

Yours faithfully,


Director
Technical Education,
Vocational & Industrial Training,
Himachal Pradesh, Sundernagar.

सं. एनआईसीएचपी/जीआर1/प्रोजेक्ट्स-122/- 1279

भारत सरकार / Government of India

इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय / Ministry of Electronics & Information Technology
राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र / NATIONAL INFORMATICS CENTRE
हिमाचल प्रदेश राज्य केंद्र / Himachal Pradesh State Centre

दूरभाष: 0177-2624045

ई-मेल: sio-hp@nic.in

दिनांक: 22-मार्च-2018

10458

28/3/2018

प्रेषक:

राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी,
एन.आई.सी, छटा तल, आर्मसडेल भवन,
हि.प्र. सचिवालय, शिमला - 171002.

प्रेषित:

निदेशक
तकनीकी शिक्षा निदेशालय,
व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण हिमाचल प्रदेश,
सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश -175018

विषय: विभाग/कार्यालय में संचालित बायोमेट्रिक प्रणाली के सम्बन्ध हेतु ।

महोदय,

आपके विभाग में संचालित बायोमेट्रिक प्रणाली के सम्बन्ध में आपको यह सूचित किया जाता है कि यूआईडीएआई ने प्रमाणीकरण के उद्देश्य के लिए बायोमेट्रिक उपकरणों को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए आरडी सेवा अनिवार्य की है। इसलिए, अनिवार्य है कि उपस्थिति के लिए उपयोग किये जाने वाले सभी बायोमेट्रिक उपकरणों को आर डी सेवा के साथ पंजीकृत किया जाए। यूआईडीएआई गैर आरडी सेवा के अनुरूप उपकरणों पर प्रमाणीकरण सेवा शीघ्र बंद कर सकता है। यदि आप पुराने उपकरणों पर आरडी सेवा स्थापित करने में सक्षम नहीं है तो आप <https://gem.gov.in> से सीधे आरडी सांगत उपकरण खरीद सकते हैं। नवीनतम अपडेट के लिए <http://basreports.attendance.gov.in/downloads/> पर जाएं अन्यतः आप एनआईसी सेवा डेस्क नंबर 1800-111-555पर भी कॉल कर सकते हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि आरडी सेवा सभी उपकरणों में जल्दी से स्थापित करें ताकि अटेंडेंस सेवा में बाधा न

धन्यवाद।

भवदीय

अपेहल
22-3-18

(अजय सिंह चैहल)

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं
राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी हि.प्र.